राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 279 / 2025 | तारीख रजू : 07.07.2025 | अंतिम निर्णय दिनांक 01.9.25

उनवानः

1. मामराज शार्दुल पुत्र श्री वृद्विचन्द जाति बलाई निवासी प्लाट सं0 55 विकास नगर विस्तार मुरलीपुरा स्कीम विश्वकर्मा ऐरिया राज0 ।
2. ललीत कुमार पुत्र कैलाशचंद जाति जाटव निवासी स्कीम नम्बर 16बी,अलवर जिला अलवर राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. संजय कुमार पुत्र रामेश्वर जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. नवीन कुमार पुत्र स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
4. किरण पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
5. मोनिका पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
6. मनिषा पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. उप पंजीयक मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री जितेन्द्र कुमार सामरिया योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री अशोककुमार निगोरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 791 रकवा 0.73 है0 वाके ग्राम चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है उक्त खसरा नम्बर के हम वादीगण प्रत्येक हिस्सा–1/5 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक हिस्सा–1/5 के खातेदार दर्ज रिकार्ड तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 6 की माताजी बिमला पुत्री सोहनलाल हिस्सा–1/5 की खातेदार दर्ज है जो फौत हो चुकी है जिनके जायज वारिस प्रतिवादी सं0 3 लगा0 6 है जो उनके खातेदारी हिस्से पर काबिज है। आराजी मुतनाजा हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बिना बटी हुई है। इसलिए जब तक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा होकर अलग–अलग खातावन्दी नही हो जावे तब तक किसी भी खातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी भी विशेष खसरा नम्बर व भू–भाग को अपना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने का कोई अधिकार नही होता है। लेकिन प्रतिवादीगण आपस मे साज बाज होकर, आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसमे अवैध रूप से प्लाटींग करना चाहते है। काफी समझाने पर भी नही मान रहे है और ना ही आराजी मुतनाजा का तकासामा करवाना चाहते है। इसलिए आराजी मुतनाजा पर कुर्रे कायम किये जाकर तहसीलदार मांढण से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर,कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी हिस्से का अलग–अलग तकासमा करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से बाद तामिल श्री अशोक कुमार निमोरिया उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं0 3 लगबा0 6 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। वकील वादीगण ने दावा तकसीम आराजी का होने के कारण, दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। जिसका वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा नो ओबजेक्शन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के मुताबिक वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 791 वाके ग्राम चावण्डी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है। जिसका विभाजन का दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया। वादीगण के दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से नो–ओबजेक्शन किया गया है तथा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 6 की एक तरफा कार्यवाही हो रही है। इसलिए न्याय हित मे वादीगण के वाद पत्र को दिनांक 13.08.2025 को प्राम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मांढण को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार मांढण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.08.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 791 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम चावण्डी तह0 मांढण जिला कोपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 26.08.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 26.08.2025 को पेश की गई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 26.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 791 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम चावण्डी तह0 मांढण जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	मागराज शार्दुल पुत्र वृध्दिचन्द शर्दुल हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी प्लाट नं. 55,विकास नगर विस्तार,मुरलीपुरा स्कीम, विश्वकर्मा ऐरिया, जयपुर खातेदार	791/1	0.1460
		कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	ललित कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति जाटव स्कीम–16बी, अलवर खातेदार	791/2	0.1460
		कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1. 2.	संजय कुमार पुत्र रामेश्वर हि0 23/73 जाति चमार सा0 देह खातेदार ओमप्रकाश पुत्र उमराव हि0 50/73 जाति मेघवाल निवासी 331,हरिजनबस्ती ततारपुर तह0 मुण्डावर खातेदार	791/3 कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	0.1460

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1. 2. 3. 4. 5.	बलवन्तसिंह पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 जाति चमार सा0 देह खातेदार नवीन पुत्र बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार किरण पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार मोनिका पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार मनीषा पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार	791/4 कुल किता–1 रकबा 0.2920 है0	0.2920

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 01.9.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
279/2025	07.07.2025	01.9.25

उनवानः

1. मामराज शार्दुल पुत्र श्री वृद्विचन्द जाति बलाई निवासी प्लाट सं0 55 विकास नगर विस्तार मुरलीपुरा स्कीम विश्वकर्मा ऐरिया राज0 ।
2. ललीत कुमार पुत्र कैलाशचंद जाति जाटव निवासी स्कीम नम्बर 16बी,अलवर जिला अलवर राज0 । ....वादीगण

बनाम,

1. बलवन्तसिंह पुत्र सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. संजय कुमार पुत्र रामेश्वर जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. नवीन कुमार पुत्र स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
4. किरण पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
5. मोनिका पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
6. मनिषा पुत्री स्व. बिमला पुत्री सोहनलाल जाति चमार निवासी चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। हाल वार्ड नम्बर 25 सुभाषबस्ती रेवाडी तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. उप पंजीयक मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री जितेन्द्र कुमार सामरिया योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री अशोककुमार निमोरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 26.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 791 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम चावण्डी तह0 मांढण जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाग	ख.नं.	रकबा है0
1.	मामराज शार्दुल पुत्र वृध्दिचन्द शर्दुल हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी प्लाट नं. 55,विकास नगर विस्तार,मुरलीपुरा स्कीम, विश्वकर्मा ऐरिया, जयपुर खातेदार	791/1	0.1460
		कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाग	ख.नं.	रकबा है0
1.	ललित कुमार पुत्र-कैलाशचन्द जाति जाटव स्कीम–16बी, अलवर खातेदार	791/2	0.1460
		कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है०
1.	संजय कुमार पुत्र रामेश्वर हि0 23/73 जाति चमार सा0 देह खातेदार	791/3	0.1460
2.	ओमप्रकाश पुत्र उमराव हि0 50/73 जाति मेघवाल निवासी 331,हरिजनबस्ती ततारपुर तह0 मुण्डावर खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.1460 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बलवन्तसिंह पुत्र सोहनलाल हि0 1/2 जाति चमार सा0 देह खातेदार	791/4	0.2920
2.	नवीन पुत्र बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.2920 है0	
3.	किरण पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार		
4.	मोनिका पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार		
5.	मनीषा पुत्री बिमला हि0–1/8 जाति चमार सा0. वार्ड नं. 25 सुभाष बस्ती रेवाडी खातेदार		

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने, एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01·9·25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–वहरोड)